-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला जबलपुर

कमल सिंह मरकाम पिता श्री समई लाल गौंड,
निवासी ग्राम चरगंवा पो. हरई रा.नि.मं. बरगी
तहसील व जिला जबलपुर —— आवेदक

विरूद्ध

1- श्रीमती सुनीता खरे पति श्री संजय खरे,
निवासी मकान नं. 1068 योजना क्रं. 5/2,
विजय नगर तहसील व जिला जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर —— अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 330/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 19-09-16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 तहत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

रिविजन के तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की ग्राम तिखारी, नंबर बंदोवस्त 232 प.ह.नं. 38, रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 304/1 रकबा 2.40 हैक्टर एवं खसरा नं. 304/2 रकबा 0.32 हेक्टर भूमि को अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय करना चाहता है, अतः विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाये । उक्त आवेदन जिलाध्यक्ष ने आदेश दिनांक 25-6-14 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन अभिमत सहित भेजने के निर्देश दिए गए । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन तहसीलदार को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा । जिस पर से तहसीलदार ने जांच कर प्रतिवेदन 24-9-14 के पूर्व

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 407–एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-17	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 330/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 19–09–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक कमलसिंह मरकाम पिता श्री समई लाल गौंड द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम तिखारी, नंबर बंदोवस्त 232 प.ह.नं. 38 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 304/1 रकबा 2.40 हैक्टर एवं खसरा नं. 304/2 रकबा 0.320 हेक्टर भूमि को अनावेदक/गैर आदिम जनजाति की सदस्य श्रीमती सुनीता खरे पति श्री संजय खरे को विकय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 25–6–14 को अनुविभागीय अधिकारी को भेजा, अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया, जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विकय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के	

R. 407 - I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	माध्यम से कलेक्टर को दिनांक माध्यम से कलेक्टर को दिनांक 24-9-14 के पूर्व भेजा गया है । लगभग दो वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरांत कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा 6 बिंदुओं पर पुनः जांच कर स्पष्ट अभिमत के लिए संहिता की धारा 165(6-ग) में उल्लेखित बातों के अतिरिक्त 6 बिंदुओं एवं अन्य समस्त बिंदुओं जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है । प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि जिन बिंदुओं पर जिलाध्यक्ष ने अनुविभागीय अधिकारी को पुनर्विचार के जो निर्देश दिए हैं, उनके संबंध में तहसीलदार ने पूर्व में जांच उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । प्रस्तावित विक्रय में आवेदक पर कोई दबाव/प्रलोभन नहीं है । आवेदक द्वारा बताया गया है कि केता द्वारा उसे प्रश्नाधीन भूमि की वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक भुगतान करने हेतु सहमत है, उक्त बात उन्होंने कलेक्टर के समक्ष भी कही थी । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आलोच्य भूमि शासन से प्राप्त भूमि नहीं है, बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई है चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है ऐसी स्थिति में आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं आती है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि हुए इस प्रकरण में पुनः प्रतिवेदन बुलाए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-9-16 निरस्त किया जाता है तथा उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 407–एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	ग्राम तिखारी,नंबर बंदोवस्त 232 प.ह.नं. 38 रा.नि.मं बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 304/1 रकबा 2.40 हैक्टर एवं खसरा नंबर 304/2 रकबा 0.320 हेक्टर भूमि अनावेदक/गैर आदिम जनजाति की सदस्य श्रीमती सुनीता खरे पति श्री संजय खरे को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :– 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	